

क्रमांक :-जिपस/समग्र शिक्षा/जय/2025-26/यथा हस्ताक्षर

दिनांक :यथा हस्ताक्षर

राशि आहरण स्वीकृति आदेश 2025-26
रीडर अलाउंस, (कक्षा-1 से 8)

रास्कूशिप जयपुर के दिशा निर्देश क्रमांक 15508209 दिनांक 10.06.2025, प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 17373936 दिनांक 26.08.2025 तथा वित्तीय एवं आहरण सीमा स्वीकृति 17532440 दिनांक 03.09.2025 (प्रारम्भिक शिक्षा) के अनुसार राजकीय विद्यालय में कक्षा-1 से 8 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले दृष्टिदोष से प्रभावित बालक-बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु निम्नानुसार **रीडर भत्ता के रूप में राशि 200/-रु.** प्रतिमाह (कुल 10 माह हेतु 2000/-रु) का भुगतान किया जाना है। इस क्रम में जयपुर जिले की निम्नलिखित विद्यार्थियों हेतु राशि निम्नानुसार सीबीईओ कार्यालयों को हाजा कार्यालय के SNA मद (Provision for Children Special Needs (CWSN)) से आहरित किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

S.No	Block	No.of CWSN Students	Amount 2000/- (July.2025 to Apr.2026)
1	Bassi	1	2000
2	Chaksu	5	10000
3	DUDU	2	4000
4	Govindgarh	1	2000
5	Jaipur East	4	8000
6	Jalsu	2	4000
7	Jobner	1	2000
8	J-Ramgarh	3	6000
9	Kishangarh Renwal	1	2000
10	Kotputli	3	6000
11	Sambhar	2	4000
12	Sanganer	5	10000
13	Shahpura	5	10000
14	Tunga	1	2000
15	Viratnagar	2	4000
	TOTAL	38	76000

अक्षरे छिहत्तर हजार रु. मात्र।



उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. होमबेस्ड एज्युकेशन वाले विद्यार्थियों हेतु भत्तों की राशि भुगतान के लिए उपस्थिति की बाध्यता नहीं रहेगी।
2. राशि का उपयोग संबंधित मद में ही किया जाये।
3. राशि का उपयोग उक्त के संबंध में जारी दिशा-निर्देशानुसार एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों व प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए किया जाये।
4. विद्यार्थी के शालादर्पण पोर्टल प्रपत्र-9 एवं प्रबन्ध पोर्टल में भी राशि भुगतान की प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. ब्लॉक कार्यालयों को राशि प्राप्त होते ही पूर्ण राशि तुरन्त पीईईओ/संबंधित विद्यालय को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।
6. विद्यालय द्वारा राशि का भुगतान निम्न समयावधि के अनुसार किया जाना है :-

माह का नाम जिसमें राशि जारी करनी है	माह जिनके लिए भुगतान किया जाना है
सितम्बर 2025	जुलाई 2025 से सितम्बर 2025 तक
अक्टूबर 2025	अक्टूबर 2025 से दिसम्बर 2025 तक
जनवरी 2026	जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक

(मंजू शर्मा)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त, समावेशित शिक्षा, रास्कूशिप जयपुर।
2. संबंधित सीबीईओ।
3. लेखा शाखा हाजा कार्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, जयपुर

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर

डॉ.राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक नम्बर-3 द्वितीय तल, जे.एल.एन.मार्ग जयपुर-302017

दूरभाष नम्बर 0141-2712993

E-mail: adpcsmsajaipur@gmail.com

क्रमांक : अजिपस/समग्र शिक्षा/जय/2025-26/यथा हस्ताक्षर

दिनांक :यथा हस्ताक्षर

राशि आहरण स्वीकृति आदेश 2025-26

रीडर अलाउंस (कक्षा-9 से 12)

रास्कूशिप जयपुर के दिशा निर्देश क्रमांक 15508209 दिनांक 10.06.2025, प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 17374126 दिनांक 26.08.2025 तथा वित्तीय एवं आहरण सीमा स्वीकृति 17532443 दिनांक 03.09.2025 (माध्यमिक शिक्षा) के अनुसार राजकीय विद्यालय में कक्षा-9 से 12 तक अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले दृष्टिदोष से ग्रसित बालक-बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु निम्नानुसार रीडर भत्ता के रूप में राशि 200/-रु. प्रतिमाह (कुल 10 माह हेतु 2000/-रु) का भुगतान किया जाना है। इस क्रम में जयपुर जिले के निम्नलिखित विद्यार्थियों हेतु राशि निम्न सीबीईओ कार्यालयों को हाजा कार्यालय के SNA मद (Inclusive Education (Student) Oriented Component Upto Highest Class X or XII) से आहरित किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

S.No	Block	No.of CWSN Students	Amount 2000/- (July.2025 to Apr.2026)
1	Andhi	3	6000
2	Bassi	1	2000
3	Chaksu	4	8000
4	Jaipur East	3	6000
5	Jalsu	1	2000
6	Jhotwara	3	6000
7	J-Ramgarh	9	18000
8	Kishangarh Renwal	1	2000
9	Madhorajpura	1	2000
10	Sambhar	1	2000
11	Sanganer	2	4000
12	Shahpura	1	2000
	TOTAL	30	60000

अक्षरे साठ हजार रु. मात्र

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. होमबेस्ड एज्युकेशन वाले विद्यार्थियों हेतु भत्तों की राशि भुगतान के लिए उपस्थिति की बाध्यता नहीं रहेगी।
2. राशि का उपयोग संबंधित मद में ही किया जाये।
3. राशि का उपयोग उक्त के संबंध में जारी दिशा-निर्देशानुसार एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों व प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए किया जाये।
4. विद्यार्थी के शालादर्पण पोर्टल प्रपत्र-9 एवं प्रबन्ध पोर्टल में भी राशि भुगतान की प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. ब्लॉक कार्यालयों को राशि प्राप्त होते ही पूर्ण राशि तुरन्त पीईईओ/संबंधित विद्यालय को हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें।
6. विद्यालय द्वारा राशि का भुगतान निम्न समयावधि के अनुसार किया जाना है :-

माह का नाम जिसमें राशि जारी करनी है	माह जिनके लिए भुगतान किया जाना है
सितम्बर 2025	जुलाई 2025 से सितम्बर 2025 तक
अक्टूबर 2025	अक्टूबर 2025 से दिसम्बर 2025 तक
जनवरी 2026	जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक

(मंजू शर्मा)

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त, समावेशित शिक्षा, रास्कूशिप जयपुर।
2. संबंधित सीबीईओ।
3. लेखा शाखा हाजा कार्यालय।
4. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, जयपुर